

500 मी. तक के भूखण्ड अथवा ऐसे भूखण्ड जिनमें अधिकतम 500 मी. निर्मित क्षेत्रफल प्रस्तावित हो, हेतु भवन विनियम 6.0 (i) हेतु पंजीकृत तकनीकीविद् द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मानचित्र अनुमोदन हेतु वांछित दस्तावेज की चैकलिस्ट

चैकलिस्ट (प्रारूप-अ)

क्र.सं.	विषय	सलग्न
1	भूखण्ड के Latitute/ longitude भूखण्ड की Google Map पर लोकेशन	
2	लीजडीड व साइट प्लान। (लीजडीड/ स्वामित्व संबंधित दस्तावेजों का बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा पंजीकृत अधिवक्ता द्वारा प्रमाणिकरण मान्य होगा)	
3	साईट प्लान मय प्रस्तावित सैटबैंक व भवन की प्रस्तावित ऊंचाई व मंजिलों की संख्या।	
4	भूखण्ड के वर्तमान फोटोग्राफ, आवेदक एवं तकनीकीविद् के हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करते हुए।	
5	व्यवसायिक भूखण्डों में पार्किंग हेतु प्रावधान दर्शाते हुए तकनीकीविद् द्वारा प्रमाणित पार्किंग प्लान	
6	पंजीकृत तकनीकीविद् का भवन विनियमों अनुसार प्रावधानों की अनुपालना किये जाने का घोषणा-पत्र (प्रारूप-स)	
7	आवेदक द्वारा भवन विनियम की पालना बाबत शपथ पत्र (प्रारूप – ब)	
8	लीज एवं नगरीय विकास कर की जमा की रसीद	
9	मांग-पत्र अनुसार भवन अनुज्ञा शुल्क जमा की रसीद (Self Assessment)। (प्रारूप-द)	
10	श्रमिक उपकर राशि (10 लाख से अधिक निर्माण लागत पर निर्माण लागत का 1%)जमा की रसीद ।	
11	नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 21.01. 2020 अनुसार देय होने पर फायर सैस जमा की रसीद (स्थानीय छ निकाय विभाग के एक्सीस बैंक खाता सं. 919010091350994 ब्रांच सी. स्कीम जयपुर)।	
12	मौके पर सैटबेक में भवन विनियमों के विरुद्ध निर्माण होने की दशा में आवेदक द्वारा उक्त अनाधिकृत निर्माण स्वयं के द्वारा हटा लिये जाने का शपथ-पत्र।	

नोट: एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों हेतु स्टिल्ट फ्लोर की छत / पोडियम छत से अधिकतम 18 मीटर ऊँचाई तक एवं अन्य शहरों हेतु स्टिल्ट फ्लोर की छत से पोडियम अधिकतम 15 मीटर ऊँचाई तक।